



नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक/3306/स्थापना भर्ती/2026

खण्डवा, दिनांक:-09/05/2026

//सूचना पत्र//

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित समूह-4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के विज्ञापित गैर-शैक्षणिक संवर्ग के पदों हेतु मण्डल से प्राप्त परीक्षा परिणाम के आधार पर सूचना पत्र क./3125/स्था. भर्ती/2026 खण्डवा, दिनांक 30.04.2026 द्वारा अभ्यर्थियों को दिनांक:05/05/2026 एवं सूचना पत्र क./3206/स्था. भर्ती/2026 खण्डवा, दिनांक 05.05.2026 द्वारा अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दिनांक:08.05.2026 को नंदकुमार सिंह चौहान, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा में मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था।

अतः उक्त के अनुक्रम में दि.08.05.2026 को दस्तावेज सत्यापन में निम्न तालिका अनुसार अनुपस्थित अभ्यर्थियों को पुनः अंतिम अवसर देते हुए दि.19.05.2026 को सुबह 11:00 बजे निम्नानुसार अर्हता संबंधी समस्त मूल दस्तावेजों एवं 01 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ मूलतः दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है। उक्तानुसार अनुपस्थित अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक को दस्तावेज सत्यापन में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी एवं इस संबंध में अभ्यर्थी का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	आवेदन क्र.	पदनाम	आवंटित श्रेणी
1	श्री माखन दास	5805250515023	कोडिंग क्लर्क	ST-X-0
2	सुश्री सुधा गुप्ता	5803250542127		UR-X-F
3	श्री संतोष पटेल	5802250522269	स्टेनोटाइपिस्ट	UR-X-0
4	श्री नवीन कुमार	5802250547431	सहायक ग्रेड-3	OBC-X-0
5	श्री अमन ओझा	5813250543624	स्टेनोटाइपिस्ट	OBC-X-0

दस्तावेज/अभिलेखों का विवरण:-

- ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति।
- प्रवेश पत्र की प्रति।
- परीक्षा परिणाम की प्रति।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से कक्षा दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से कक्षा बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची।
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम 01 वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/उपाधि।
- म.प्र. शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभागांतर्गत आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सी.पी.सी.टी.) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।
- मान्यता संस्था/परिषद से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। (संबंधित)
- मान्यता प्राप्त शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय में 01 वर्ष का कोडिंग कार्य का अनुभव तथा बैंक स्टेटमेंट/सेलरी स्लिप अनिवार्य। (संबंधित)
- स्नातक/स्नातकोत्तर की प्रति (यदि हो तो)।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (डिजिटल)।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल-निवासी प्रमाण पत्र (डिजिटल)।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. राज्य का वैध जीवित आय प्रमाण पत्र (डिजिटल)।
- शासकीय/स्वशासी/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल इत्यादि संस्थाओं में कार्यरत होने की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्याग पत्र स्वीकृति आदेश। (यदि लागू हो तो)
- दिव्यांगजन होने की स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो तो)
- भूतपूर्व सैनिक हेतु तत्संबंधी प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो तो)
- यदि योनस अंक प्राप्त हो तो तत्संबंधी प्रति।
- संविदा आरक्षण के अंतर्गत नियुक्ति अभ्यर्थियों हेतु समकक्ष संविदा पद का अनुभव प्रमाण पत्र, जो कि यथास्थिति जिला अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तथा रु 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके द्वारा पूर्व में किसी अन्य शासकीय/स्वशासी/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल इत्यादि संस्थाओं में संविदा आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्ति नहीं ली गई है। (यदि हो तो)
- यदि आयु में लाभ लिया गया है, तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति। (यदि लागू हो तो)
- यदि विवाहित हो, तो विवाह संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति/शपथपत्र एवं जीवित संतान का प्रमाण पत्र की प्रति/शपथपत्र।
- म.प्र. राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन।
- ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न किये गया मूल पहचान प्रमाण पत्र।
- 02 रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
- अन्य विज्ञापन में उल्लेखित शर्त अनुसार प्रमाण पत्र जो आपको लागू होते हो।

नोट:-

- भर्ती प्रक्रिया संबंधित एवं अन्य समस्त सूचनाओं हेतु अभ्यर्थी महाविद्यालय की अधिकारिक वेबसाइट <https://www.gmckhandwa.org/> का अवलोकन निरन्तर करते रहें।
- दस्तावेज सत्यापन में आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाये जाने पर ही चयन की आगामी कार्यवाही की जावेगी अतएव अभ्यर्थी इसे चयन का आधार न मानें।

(डॉ. संजय कुमार दादु)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.महा.खण्डवा